

राष्ट्रीय मिलिटरी विद्यालय बेनहालुरु में प्रवेश प्राप्त कर चुके/प्राप्त करने वाले कैडेटों के माता-पिता/अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला समझौता पत्र  
**AGREEMENT FORM TO BE EXECUTED BY PARENTS / GUARDIANS OF CADETS ADMITTED / BEING ADMITTED TO RASHTRIYA MILITARY SCHOOL BENHALURU**

यह समझौता दिनांक \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_ को श्री/श्रीमान/श्रीमती \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमान/श्रीमती \_\_\_\_\_ (जिन्हें इसके बाद "गारंटर" कहा जाएगा, इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ द्वारा इसे वर्जित न किया जाए, उनके प्रतिनिधि शामिल माने जाएंगे) एक पक्ष के रूप में और भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसके बाद "सरकार" कहा जाएगा, इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ द्वारा इसे वर्जित न किया जाए, उनके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल माने जाएंगे, दूसरे पक्ष के बीच किया गया है।

This agreement is made this day \_\_\_\_\_ of year \_\_\_\_\_ between Shri/Mr/Mrs \_\_\_\_\_ son/girl of Shri/Mr/Mrs \_\_\_\_\_ (Hereinafter called the "Guarantor" which expression shall, unless excluded by the context or the meaning representatives) of the one part and the President of India hereafter called the "Government" which expression shall, unless excluded by the context of the meaning thereof deemed to included, his successors and assigns of the other part .

जबकि \_\_\_\_\_ (जिसे इसके बाद "कैडेट" कहा जाएगा) गारंटर का पुत्र/आश्रित, गारंटर के अनुरोध पर, राष्ट्रीय मिलिटरी विद्यालय बेंगलोर में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से, अन्य बातों के अलावा, नीचे दिए गए नियमों और शर्तों पर प्रवेश के लिए चयनित किया गया है।

WHEREAS \_\_\_\_\_ (here in after called "the cadet") son/ward of the Guarantor has, at the request of the guarantor, been selected for admission to Rashtriya Military School Bangalore for the purpose of receiving education Inter alia, **on the terms and conditions hereinafter appearing** .

अब, इस समझौते के पक्षकारों के बीच निम्नलिखित बातों पर सहमति हुई है।  
Now it is hereby agreed by a between the parties hereto as follows: -

1. सरकार द्वारा कैडेट को राष्ट्रीय मिलिटरी विद्यालय, बेंगलुरु में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवेश दिए जाने के मद्देनजर, गारंटर के अनुरोध पर सरकार के साथ अनुबंध किया जाता है।

That in consideration of the cadet being admitted to Rashtriya Military School, Bengaluru by the Government for the purpose of the receiving education at the request of the guarantor covenants with the Government .

1.1 कैडेट राष्ट्रीय मिलिटरी विद्यालय बेंगलुरु में नियमित रूप से उपस्थित रहेगा और वहां के सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा। गारंटर सरकार को निर्धारित सभी शुल्क और अन्य खर्चों का नियमित और समय पर भुगतान करेगा, जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके पुत्र/आश्रित के पॉकेट मनी खाते में हर समय कम से कम 15,000 रुपये (पंद्रह हजार रुपये मात्र) की राशि मौजूद रहे।

That the cadet will attend the Rashtriya Military School Bengaluru regularly and will observe and comply with all the rules and regulations thereof and that the guarantor shall pay to the Government regularly and promptly and whenever called upon to do so all the fees and other cost as prescribed. He will also ensure that there is minimum amount of **Rs 15,000/-** (Rupees Fifteen Thousand Only) in the Pocket Money account of his son/ward, at all times .

1.2 उक्त कैडेट को प्रथम शैक्षणिक वर्ष के लिए परीक्षा पर प्रवेश दिया गया है। यदि कैडेट निर्धारित शैक्षणिक मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे एडीजी आई/आई-2, रक्षा मंत्रालय (सेना मुख्यालय), नई दिल्ली द्वारा विद्यालय से निष्कासित करने का आदेश दिया जा सकता है।

That the said cadet has been admitted on probation for the first academic year . In case, the cadet fails to attain the laid down academic standards, he may be required by ADG AE / AE-2, IHQ of MoD (Army) , New Delhi to withdraw from the school .

1.3 रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के एडीजी आई/आई-2 किसी भी कैडेट को स्कूल से निष्कासित कर सकते हैं, यदि उनकी राय में कैडेट ने अनुशासनहीनता या स्कूल के नियमों/विनियमों का उल्लंघन किया हो, जिसके कारण उसे स्कूल से निष्कासित करना आवश्यक हो। किसी कैडेट को स्कूल से तब भी निष्कासित किया जा सकता है, यदि वह अपनी कक्षा के शैक्षणिक मानकों को पूरा करने में विफल रहता है और/या उसी कक्षा में उसका बने रहना कक्षा के अन्य कैडेटों के हितों के लिए हानिकारक हो।

That the ADG AE / AE-2, IHQ of MoD (Army) , New Delhi may at any time withdraw a cadet from the school, if in its opinion, the cadet has committed an act of indiscipline or breach of school rules/regulations which warrant his withdrawal from the school . A cadet may also be withdrawn from the school, if the fails to come up to the academic standards of his class and/or his detention in the same class would be prejudicial to the interest of other cadets in the class .

1.4 गारंटर कैडेट की बीमारी के लिए शल्य चिकित्सा सहित किसी भी प्रकार का चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए स्कूल को अधिकृत करता है और सेवारत कर्मियों के लिए चिकित्सा पात्रता प्रमाण पत्र (एमईसी) और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए ईसीएचएस कार्ड की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करने के लिए सहमत होता है।

The Guarantor also authorize the school to provide any type of medical treatment including a surgical operation for the sickness of the cadet and agree to submit the ink-signed copy of Medical Entitlement certificate (MEC) for serving personnel & ECHS card for retired .

“मैं एतद्वारा राष्ट्रीय मिलिटरी विद्यालय, बेंगलुरु के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को मेरे पुत्र/पालिक पुत्र (विद्यालय क्रमांक \_\_\_\_\_, नाम \_\_\_\_\_, राष्ट्रीय मिलिटरी विद्यालय, बेंगलुरु में अध्ययनरत) के उपचार हेतु सामान्य या किसी भी प्रकार की बेहोशी की दवा के तहत ऑपरेशन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने/जारी करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ, जब भी आवश्यकता हो।

*I hereby authorized the principal / Rashtriya Military School, Bengaluru or his authorized representative to sign/issue No objection certificate for operation under general or any type of anesthesia in respect of my son /ward school No \_\_\_\_\_Name \_\_\_\_\_ Studying Rashtriya Military School, Bengaluru for his treatment, as and when required .”*

1.5 यह सहमति हुई है कि यदि उक्त कैडेट को वर्ष के किसी भी समय नियमों के तहत अनुमत मामलों को छोड़कर किसी भी कारण से विद्यालय छोड़ना पड़ता है, तो आंशिक या पूर्ण रूप से कोई भी शिक्षण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

It is agreed that no tuition fees, partial or full, will be refunded if the said cadet is required to leave the school during any time of the year for any reasons except as permissible under the rules .

1.6 यह भी सहमति दी जाती है कि कैडेट को विद्यालय में रहने के दौरान, अध्ययन, खेल या विद्यालय द्वारा आयोजित अन्य साहसिक गतिविधियों में भाग लेने के दौरान, या विद्यालय परिसर के भीतर या बाहर निर्धारित नियमों/विनियमों और आदेशों का पालन न करने के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार की चोट, चाहे वह जानलेवा हो या नहीं, के लिए सरकार या विद्यालय प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा। यह भी सहमति दी जाती है कि विद्यालय में रहने के दौरान कैडेट को किसी भी प्रकार की बीमारी/चोट/दुर्घटना/अप्रिय घटना होने पर विद्यालय प्राधिकरण इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा और सरकार से किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए, माता-पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने पर सहमति दी जाती है।

That the Government or the school authority will not be liable for any damages/charge on account of injuries, fatal or otherwise, which may be sustained by the Cadet, at any time during his stay in the School, while taking part in studies, sports or other adventure activities organized by the school or due to any other circumstances arising due to non-adherence to the laid down rules /regulations and orders within or outside the school premises .It is also agreed that in case of any sickness/injury/accident/untoward happening to the cadet during his stay in the school, the school authorities will not be held responsible for the same and no claim for any damages will lie on the Government for which, it is agreed to submit Indemnity bond duly signed by the parent/legal guardian .

1.7 गारंटर को कैडेट को एनसीसी कैंप/कोर्स/कैडर/परेड, शैक्षिक यात्राओं और पिकनिक पर भेजने, साहसिक गतिविधियों, ट्रेकिंग या अन्य बाहरी गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्कूल अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार भेजे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। और स्कूल अधिकारियों द्वारा तय किए गए इन गतिविधियों के खर्चों की कटौती पर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अलावा, स्कूल अधिकारियों द्वारा तय किए गए अनुसार, कैडेट के लिए आवश्यक व्यक्तिगत किट या खेल सामग्री का खर्च वहन करने पर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

That Guarantor has no objection to send the cadet on NCC Camps /Courses / Cadres/Parades, educational tours and picnics, participate in adventure activities treks or other outdoor activities as and when required by the school authorities . And he will have no objection to the deduction of expenditure for these activities as decided by the school authorities . Further, he does not have any objection to bear the cost of the personal kit of sports item required by the ward as decided by the school authorities .

1.8 कि गारंटर कैडेटों की अनुपस्थिति की छुट्टी, शैक्षणिक और अन्य प्रशिक्षण तथा अनुशासन भंग करने पर उसके द्वारा दी जाने वाली सजा के संबंध में विद्यालय अधिकारियों के निर्णयों का स्वेच्छा से पालन करेगा।

That the guarantor shall willingly abide by the decisions of the school authorities in respect of the cadets leave of absence, academic and other training and punishment of breaches of discipline by him, if any .

1.9 गारंटर की पदोन्नति की तिथि के 15 दिनों के भीतर विद्यालय अधिकारियों को कार्यवाहक/स्थायी पद पर पदोन्नति की तिथि की सूचना दी जाएगी और पद प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

That the school authorities will be informed of the date of promotion of the guarantor to the next higher ranks acting/substantive within 15 days of the date of such promotion and submit a copy of rank certificate .

1.10 कैडेट जब भी छुट्टी/अवकाश/स्कूल की गतिविधियों के लिए घर या कहीं और जाता है, तो उसकी यात्रा सड़क/रेल/हवाई/या परिवहन के किसी अन्य साधन से गारंटर के जोखिम पर होगी, जब तक कि उसकी यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था न की गई हो और इसकी सूचना स्कूल को काफी पहले से न दे दी गई हो।

That the cadet whenever proceeds to home or elsewhere on leave/vacation/ school activities, will travel by road/rail/air/any other mode of conveyance at the guarantor's risk, unless, alternative arrangements for his travel are made and the same are intimated to the school well in advance .

1.11 यह गारंटर की जिम्मेदारी है कि वह स्कूल को अपना नवीनतम डाक पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर की जानकारी देता रहे।

That it is the guarantor's responsibility to keep the school informed/updated of his/her latest postal address, mobile, email & WhatsApp Numbers .

1.12 कैडेट \_\_\_\_\_ अविवाहित है और विद्यालय में रहने के दौरान विवाह नहीं करेगा।

That the cadet \_\_\_\_\_ is not married and will not get married during his stay in the school .

1.13 गारंटर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रैगिंग विरोधी वचन देने के लिए सहमत है और रैगिंग विरोधी नियमों से पूरी तरह अवगत है।

The guarantor agrees to give an anti-ragging undertaking as directed by the Supreme Court & fully aware of the anti-ragging rules .

1.14 यह सुनिश्चित किया जाता है कि कैडेट विद्यालय में रहने के दौरान विद्यालय के सभी नियमों और विनियमों का पूरी तरह से पालन करेगा, अर्थात् आचार संहिता का।

That it is guaranteed that the cadet will fully abide by all the rules and regulations of the school, as long as he remains in the school i . e code of conduct.

1.15 इसके अलावा यह सहमति व्यक्त की जाती है और घोषित किया जाता है कि सरकार की ओर से किसी भी कार्य, चूक या छूट से गारंटर अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होगा।

It is further agreed and declared that any act or omission, forbearance on the part of the Government will not relieve the guarantor of his liabilities and obligations .

1.16 गारंटर को यह पूर्णतः समझ है कि विद्यालय की शिक्षण फीस, जेब खर्च और अन्य शुल्क समय-समय पर बढ़ाए जा सकते हैं, और अतः विद्यालय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी शुल्क और प्रभारों का पूर्ण भुगतान करने का वचन देना, विद्यालय अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा भुगतान करने के अधीन होगा। गारंटर को मेरे बच्चे को विद्यालय से निष्कासित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

That the guarantor fully understands that the school tuition fee, pocket money and other charges are subject to upward revision and as such undertaking to clear all such fee and charges as prescribed by the school authorities from time to time in full within the prescribed by the school authorities will be well within their rights to expel my ward from the school .

1.17 अभिभावक कृपया ध्यान दें कि किसी भी परिस्थिति में कैडेट को उसके अभिभावक/संरक्षक के विद्यालय में आने के दौरान रात्रि अवकाश पास नहीं दिया जाएगा। रविवार को भी नियमित अवकाश पास के लिए अभिभावक की सहमति आवश्यक है, जिसके बिना कैडेट को अवकाश नहीं दिया जाएगा। कक्षा 11 से नीचे के किसी भी कैडेट को अवकाश पास नहीं दिया जाएगा।

The parent is required to note that in no case night out pass will be given to the cadet during his/her parent/guardian's visit to the school, Parent consent is required for routine out pass also on Sunday without which cadet will not be allowed for out pass . No Cadet below Class XI will be given any out pass .

1.18 अभिभावक यह भी ध्यान दें कि कैडेट को केवल अपने सगे भाई/बहन के विवाह में शामिल होने के लिए ही सशर्त अवकाश दिया जाएगा। अपने माता-पिता के अलावा किसी अन्य रिश्तेदार के अंतिम संस्कार या मृत्यु के बाद की रस्मों में शामिल होने के लिए अवकाश नहीं दिया जाएगा। यह कैडेट के दस्तावेजों से सत्यापन के अधीन है। कैडेट को वार्षिक परीक्षाओं में बैठने के लिए शैक्षणिक वर्ष के दौरान न्यूनतम उपस्थिति प्रतिशत बनाए रखना आवश्यक है। यह भी दोहराया जाता है कि आरआईएमसी जैसी किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त अवकाश नहीं दिया जाएगा, जिसमें अवकाश केवल परीक्षा में बैठने के लिए ही दिया जाएगा (केवल बेंगलुरु स्टेशन पर)।

The Parent is also required to note that leave will be conditionally granted to the cadet to attend the marriage of the cadet's real (own) sister/brother only . Also no leave will be given to attend funeral or after death ceremony of any relative other than own parents. This is conditional on the verification from the cadet's dossier documents . Cadet need to maintain certain minimum % of attendance during the academic year to appear in the annual examinations, it is also reiterated that no additional leave is permissible for preparation of any examinations like RIMC wherein leave will be granted only to appear in the examinations (only in Bengaluru station).

1.19 अभिभावक से अनुरोध है कि वे कैडेट के माध्यम से उसके परिवार के दो सदस्यों के नाम और पहचान पत्र भेजें जिनसे मिलने के लिए वह अधिकृत है। कृपया ध्यान दें कि छात्रावास में कैडेट से किसी अन्य व्यक्ति को मिलने की अनुमति नहीं होगी और किसी भी स्थिति में अभिभावक/रिश्तेदार के साथ बाहर जाने का पास नहीं दिया जाएगा।

The parent is requested to send through the cadet the names and ID proof of two members of his/her family whom he/she is authorized to meet. Please note that no one else will be allowed to meet the cadet at the hostel and no out-pass along with the guardian/relative will be given in any case.

1.20 अवकाश के दौरान स्कूल से जाते या स्कूल लौटते समय माता-पिता को अपने बेटे/बेटी को लेने/साथ लाने का दायित्व है। यदि कैडेट माता-पिता की सहमति से स्वयं यात्रा करता है, तो कैडेट की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी माता-पिता की होगी और यात्रा के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा।

The parent to collect /escort his/her son/daughter while leaving from/reporting to the school during the vacation or leave. If the cadet travels by own as per parent consent, the whole responsibility of safety of the cadet levies with the parent only and school will not take any responsibility for mishap happening during the course of the travel of cadet

1.21 अभिभावक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बेटे/बेटी के पास छुट्टी से लौटते समय पर्याप्त शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन वस्त्र तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं हों। कम से कम 4 जोड़ी औपचारिक पोशाकें प्राप्त करना अनिवार्य है। कैडेट को शैक्षणिक सत्र के लिए वर्दी के अनुसार पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए। वस्तुओं की सूची और मात्रा नीचे दी गई है।

The parent is required to ensure that his/her son/daughter has adequate winter and summer clothing and daily use items while returning from the vacation cadet to get minimum 04 pairs of formal dress. The cadet to be adequately equipped uniform wise for the academic session. The list of items along with quantity is as under :

1.21.1	Khaki dress/खाकी पोशाक	-	04 Pairs/जोड़े
1.21.2	Mufti dress/मुफ़्ती पोशाक	-	04 Pairs/जोड़े
1.21.3	Games dress/खेल पोशाक	-	04 Pairs/जोड़े
1.21.4	PT T-Shirt /पीटी टी-शर्ट	-	02 Nos/नंबर
1.21.5	Games & PT socks/ खेल और पीटी मोज़े	-	04 Pairs/जोड़े
1.21.6	Black Oxfors shoe/ काले ऑक्सफ़ोर्ड जूते	-	04 Pairs/जोड़े
1.21.7	White PT/Games shoe/ सफ़ेद पी टी/गेम्स शू	-	02 pairs/जोड़े
1.21.8	Black socks/ काले मोज़े	-	06 pairs/जोड़े
1.21.9	Night dress/ रात्रि पोशाक	-	02 pairs/जोड़े

1.22 विद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग सख्त वर्जित है। मोबाइल फोन रखने पर प्रचलित मानक प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Mobile phones are strictly prohibited in the school premises. Possession of the same will invite strict disciplinary action as per SOP in vogue.

1.23 अभिभावकों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार के खाने-पीने के सामान की ऑनलाइन डिलीवरी न करवाएं, न ही स्थानीय अभिभावकों के माध्यम से, क्योंकि इससे खाद्य विषाक्तता हो सकती है। पार्सल को स्कूल के गेट पर ही रोक दिया जाएगा और उसे स्कूल परिसर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Parents are strictly advised not to order online delivery of any eatables /food and also through local guardians which may cause food poisoning and the parcel will be stopped at the gate itself and will not be allowed to go inside school premises.

2. इन दस्तावेजों से संबंधित या इनके अर्थों या प्रभाव से जुड़े किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में (जिनके निपटारे के लिए इसमें पहले से स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है), इसे भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा। गारंटर इस आधार पर किसी भी ऐसी नियुक्ति पर आपत्ति नहीं उठा सकेगा कि एकमात्र मध्यस्थ सरकारी कर्मचारी है या उसने उस मामले से निपटा है जिससे ये दस्तावेज संबंधित हैं।

In the event of any dispute or difference arising out of or in any way relating to or concerning these presents or the constructions or effect of these presents (the settlement whereof has not been herein before expressly provided for) the same shall be referred to the Government of India, the Ministry of Defence. The Guarantor will not be entitled to raise objection to any such appointment on the ground that the sole arbitrator is a Government servant for that he had dealt with the matter to which these presents relate .

3. इसके प्रमाण स्वरूप \_\_\_\_\_ ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और \_\_\_\_\_ भारत के राष्ट्रपति के आदेश और निर्देशानुसार उपरोक्त लिखित तिथि और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए हैं।

In witness whereof \_\_\_\_\_ Has set his hand and \_\_\_\_\_ by order and direction of the PRESIDENT OF INDIA has set his hand the day and the year first above written .

Signed and delivered by Guarantor / गारंटर द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

1.

2.

In the presence of / की उपस्थिति में:-

1.

2.

भारत के राष्ट्रपति की ओर से \_\_\_\_\_ द्वारा हस्ताक्षरित,  
प्रधानाध्यापक, राष्ट्रीय मिलिटरी विद्यालय, बेंगलुरु

Signed for and on behalf of the president of India by \_\_\_\_\_  
Principal Rashtriya Military School, Bengaluru .

टिप्पणी (याँ) / Note (s) :-

1. गारंटर के हस्ताक्षर किसी सेवारत राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।  
The signature of the Guarantor is to be witnessed by a serving Gazetted Officer.
2. जब तक सरकार द्वारा लड़के/लड़की को प्रवेश के लिए चयनित नहीं कर लिया जाता, तब तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिए।  
The agreement should not be executed until the boy/girl has been selected by the Government for admission
3. समझौते के प्रपत्र के पहले अनुच्छेद में तिथि के लिए दिए गए स्थान को गारंटर द्वारा नहीं भरा जाना चाहिए। यह स्थान उस तिथि को भरा जाएगा जिस दिन रक्षा मंत्रालय के अधिकृत अधिकारी द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से समझौता हुआ है।  
The space provided for the date in the first paragraph of the agreement form should not be filled in by the guarantor. This will be filled in on date on which the agreement will be signed by the authorized officer of the Ministry of Defence and on behalf of the President of India .